

पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की फरवरी, 2019 माहकी प्रमुख उपलब्धियों, महत्वपूर्ण विकास और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सारांश

1. वर्ष 2019-20 के लिए 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की तीसरी बैठक सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में 22 और 23 फरवरी, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम ओडिशा, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केन्द्र शासित प्रदेशों में दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, पुदुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर विचार किया गया। अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) के अनुमोदन के लिए मंत्रालय द्वारा पहल की गई ताकि राज्यों को इस योजना के तहत हस्तक्षेप के कार्यान्वयन के लिए पूरा साल मिल पाए। इससे कार्यक्रमों के वितरण में सुधार होने की उम्मीद है।
2. आरजीएसए की योजना के तहत वर्ष 2018-19 के लिए दूसरी किस्त हेतु हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड राज्यों को 129.66 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज (एनआईआरडी एंड पीआर) को सतत प्रशिक्षण और ई-सक्षमता (टीआईएसपीआरआई) द्वारा सशक्त पीआरआई के माध्यम से अनुमोदित परियोजना भारत का कायाकल्प की दूसरी किस्त हेतु 5.50 करोड़ रुपये जारी किए गए।
3. इस माह के दौरान 26 फरवरी और 27 फरवरी, 2019 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में यूनिसेफ कंट्री ऑफिस, नई दिल्ली के सहयोग से एमओपीआर और एनआईआरडी एंड पीआर, हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से “बाल हितैषी पंचायतों” पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन माननीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण विकास, पंचायती राज, संसदीय मामलों और खान द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न कार्यकर्ताओं को एक साथ लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि यह समझाया जा सके कि स्थानीय सरकारें बच्चों के लिए विकास के एजेंडे को कैसे सुदृढ़ कर सकती हैं। अन्य प्रतिभागियों के अलावा, लगभग 180 सरपंचों, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और आठ राज्यों केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात के अधिकारियों ने भी

कार्यशाला में भाग लिया और बाल हितैषी पंचायतों के साथ ग्राम पंचायतों के विषय पर अपने अनुभव साझा किए।

4. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों को उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, एमओपीआर राज्यों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए शिद्धत से अनुसरण कर रहा है। इस संबंध में वर्ष 2017-18 के लिए प्रियासॉफ्ट पर खाता बंद करने, ग्राम पंचायत/विक्रेता पंजीकरण के लिए राज्यों का अनुसरण करने के लिए मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वर्ष 2017-18 के लिए, 93% ग्राम पंचायतों ने अपनी खाता-बही बंद कर दी हैं और 2,29,444 ग्राम पंचायतें पीएफएमएस पर पंजीकृत किए गए हैं जबकि शेष ग्राम पंचायतों में पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही हैं। लगभग 1,20,688 ग्राम पंचायतों ने पहले ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) खरीद ली है। राज्यों ने वर्ष 2018-19 के लिए खाता-बही बंद करने की भी शुरुआत कर दी है।
5. पंचायत एंटरप्राइज सूइट एप्लीकेशन को अपनाने की प्रगति का आकलन करने और भाग लेने वाले राज्यों से प्रतिक्रिया/नई आवश्यकताओं को हल करने के लिए क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें क्रमशः 15-16 फरवरी, 2019 और 22-23 फरवरी, 2019 को क्रमशः नागपुर और भुवनेश्वर में आयोजित की गईं।
6. मंत्रालय द्वारा ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (ई-एफएमएस), पीएफएमएस और जियो-टैगिंग पर बल देने के साथ, राज्यों को प्रासंगिक पीईएस अनुप्रयोगों प्लानपलस, एक्शनसॉफ्ट, प्रियासॉफ्ट आदि पर प्रशिक्षण के लिए अनुरोध किया गया है। एक्शनसॉफ्ट, प्रियासॉफ्ट और पीएफएमएस पर प्रशिक्षण 27 फरवरी, 2019 से 01 मार्च, 2019 तक गोवा में आयोजित किया गया था।
7. इस महीने के दौरान एमओपीआर ने वर्ष 2018-19 के लिए छत्तीसगढ़ को 523.93 करोड़ रुपए और तेलंगाना को 534.56 करोड़ रुपए मूल अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में जारी करने हेतु वित्त मंत्रालय (एमओएफ) को सिफारिश की है। एमओपीआर ने चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) के तहत 2017-18 के लिए मध्य प्रदेश को 296.64 करोड़ रुपए, केरल को 79.58 करोड़ रुपए, ओडिशा को 196.40 करोड़ रुपए और असम को 120.20 करोड़ रुपये निष्पादन अनुदान जारी करने की भी सिफारिश की है।
8. महीने के दौरान वर्ष 2016-17 के लिए असम को मूल अनुदान की दूसरी किस्त 404.88 करोड़ रुपये जारी की गई। वर्ष 2018-19 के लिए तमिलनाडु को मूल अनुदान की पहली किस्त 876.93 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को मूल अनुदान की दूसरी किस्त 1502.185 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को 523.93 करोड़ रुपये और तेलंगाना को 534.56 करोड़ रुपए जारी किए गए।

9. वर्ष 2016-17 के लिए एफएफसी के तहत 29,942.87 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में कुल 29,209.14 करोड़ रुपए का मूल अनुदान जारी किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान यह 34,596.26 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में 32,157 करोड़ रुपए था और वर्ष 2018-19 के लिए यह 40,021.63 करोड़ के आवंटन की तुलना में 33,372.56 करोड़ रुपये था। वर्ष 2016-17 के लिए 3,927.65 करोड़ रुपए की तुलना में 3,499.45 करोड़ रुपए का निष्पादन अनुदान जारी किया गया और वर्ष 2017-18 के लिए 4444.71 करोड़ रुपए की तुलना में 1,106.90 करोड़ रुपए का निष्पादन अनुदान जारी किया गया।

Ministry panchayati Raj
Summary on Major achievements, significant developments and
Important events of MoPR for the month of February, 2019

1. The third meeting of Central Empowered Committee of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) under the chairmanship of Secretary, Panchayati Raj, was held on 22nd and 23rd of February, 2019 at Vigyan Bhawan, New Delhi to consider the Annual Action Plans (AAPs) of 33 States/UTs for the year 2019-20. The States/UTs covered were Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Jharkhand, West Bengal, Nagaland, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Odisha, Jammu and Kashmir, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and UTs of Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli, Puducherry and Andaman & Nicobar Islands. The initiative taken by the Ministry for approval of AAPs before the start of the next financial year will give the full year to the States for implementation of the interventions under the scheme, and is expected to greatly improve program delivery.
2. Funds to the tune of Rs. 129.66 crore were released to the states of Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tamil Nadu, West Bengal and Uttarakhand towards second instalment for the year 2018-19 under the scheme of RGSA. Further, funds to the tune of Rs. 5.50 crore were released to National Institute of Rural Development & Panchayati Ra (NIRD&PR) towards second instalment of the approved Project Transforming India through Strengthening PRIs by Continuous Training and Enablement (TISPRI).
3. A two day workshop on “Child Friendly Panchayats” was organized jointly by the MoPR and NIRD&PR, Hyderabad in collaboration with UNICEF Country Office, New Delhi at Gwalior, Madhya Pradesh on 26th and 27th of February, 2019. The Workshop was inaugurated by Hon’ble Minister of Rural Development, Panchayati Raj, Parliamentary Affairs and Mines. The workshop focused on bringing together insights from various practitioners to understand how local governments can reinforce the development agenda for children. Apart from other participants, around 180 Sarpanches, Elected Representatives from Panchayats and officials from eight states i.e. Kerala, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka and Gujarat also attended the workshop and shared their experiences on the subject of Child Friendly Panchayats, *vis a vis* their Gram Panchayats.
4. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regards, the Ministry has been conducting video conferences; pursuing the States for closure of account on PRIASoft for 2017-18, GP/vendor registration. For the year 2017-18, 93% of the Gram Panchayats have closed their account books and 2, 29,444 GPs have been registered on PFMS while remaining GPs are in the process of the same. Around 1, 20,688 GPs have already procured Digital Signature Certificates (DSCs). States have also commenced closure of account books for the year 2018-19.

5. Regional review meetings were held on February 15-16, 2019 and February 22-23, 2019 in Nagpur and Bhubaneswar respectively to assess the progress of adoption of Panchayat Enterprise Suite Applications and also to solicit feedback / new requirements from the participating States.
6. With the Ministry's accent of e-Financial Management System, PFMS and Geo-tagging, States have been requesting for training on the relevant PES Applications viz. PlanPlus, ActionSoft, PRIASoft etc. Training was held in Goa on ActionSoft, PRIASoft and PFMS from February 27, 2019 to March 01, 2019.
7. During the month, MoPR has recommended to Ministry of Finance (MoF) for release of 2nd instalment of Basic Grant of Rs. 523.93 crore to Chhattisgarh and Rs. 534.56 crore to Telangana for 2018-19. MoPR has also recommended performance Grant of Rs. 296.64 crore to Madhya Pradesh, Rs. 79.58 crore to Kerala, Rs. 196.40 crore to Odisha and Rs. 120.20 Crore to Assam for 2017-18 under Fourteenth Finance Commission (FFC).
8. During the month MoF released of 2nd instalment of Basic Grant of Rs. 404.88 crore to Assam for 2016-17, 1st instalment of Basic Grant of Rs. 876.93 crore to Tamil Nadu for 2018-19 and 2nd instalment of Basic Grant of Rs. 1502.185 crore to Maharashtra, Rs. 523.93 crore to Chhattisgarh and Rs. 534.56 crore to Telangana for 2018-19 under FFC.
9. The total release of Basic grant under FFC for the year 2016-17 was Rs. 29,209.14 crore against the allocation of Rs. 29,942.87 crore. During 2017-18 it was Rs. 32,157 crore against the allocation of Rs. 34,596.26 crore and it is Rs.33, 372.56 crore against the allocation of Rs.40,021.63 crore for the year 2018-19. Release of Performance Grant is Rs. 3,499.45 crore against the allocation of Rs. 3,927.65 crore for 2016-17 and Rs. 1,106.90 crore against allocation of Rs. 4444.71 crore for the year 2017-18.
